



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)


क0एफ.4()पट्टा निर्देश/विधि/पंरावि/2016/ 692 जयपुर,दि0

01.9.2016

1. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषय:- “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को पट्टा आवंटन करने बाबत ।

राज्य में “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है ! इस संबंध में यह स्पष्ट क्रिया जाता है कि इस योजना की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल परिवारों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर संबंधित को भूमि/पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावे, ताकि योजना सुचारु रूप से क्रियावित की जा सके ।


(आनन्द कुमार)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर ।
3. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।


उप शासन सचिव(विधि)